बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

।। संकल्प ।।

विषय :–ADB (ऐशियन डेवलपमेंट बैंक) सम्पोषित गया सिवरेज परियोजना फेज–I अनुमानित लागत कुल–$ 54.92 मिलियन यू०एस० डॉलर (लगभग 370.63 करोड़ रू०) (तीन सौ सत्तर करोड़ तिरेसठ लाख रू0 मात्र) की योजना के कार्यान्वयन एवं उस पर संभावित व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति।

बिहार के शहरों के विकास के सैद्धान्तिक निर्णय के तहत आधारभूत संरचनाओं की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार द्वारा ADB से 200 मिलियन यू०एस० डॉलर की वित्तीय सहायता प्राप्त की गई है। दिनांक– 30 एवं 31 जनवरी, 2012 को ADB, कार्यालय नई दिल्ली में सम्पन्न त्रिपक्षीय बैठक में वित्तीय सहायता प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है। उक्त बैठक में राज्य में आधारभूत संरचना के विकास हेतु ADB से वित्तीय सहायता 200 मिलियन यू०एस० डॉलर प्राप्त करने एवं राज्य सरकार की ओर से 86 मिलियन डॉलर की सहायता उपलब्ध कराने पर सहमति हुई। ADB से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के प्रस्ताव पर मुख्य सचिव, बिहार का अभिमत प्राप्त है।

योजना के अधीन भागलपुर एवं गया जलापूर्ति एवं गया सिवरेज योजना का कार्यान्वयन किया जाना है। सम्प्रति भागलपुर जलापूर्ति योजना कार्य चालू है। गया जलापूर्ति योजना प्रोजेक्ट–1 एवं 2 पर स्वीकृत्ति प्राप्त कर निविदाऐं आमंत्रित कर ली गयी है। गया सिवरेज योजना ADB योजना के Tranche-II में शामिल है। ADB Consultant की परामर्शी सेवा से कार्यान्वयन की रूप रेखा इत्यादि तैयार की गयी है। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम (बुडको), पटना को कार्यान्वयन एजेंसी घोषित करते हुए गया सिवरेज योजना का कार्य सौंपा गया है।

2. **गया सिवरेज परियोजना का उद्देश्य** :–

गया सिवरेज प्रस्तावित योजना जो फल्गु नदी के पश्चिम भाग में प्रस्तावित है, का अनुमानित लागत 54.92 मिलियन यू०एस० डॉलर (लगभग 370.63 करोड़ रू०) है। इसकी गणना 1 US Dollar = 67.49 रूपये के आधार पर की गयी है। गया सिवरेज (फल्गु नदी के पूर्वी भाग) के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार किया जा रहा है।

गया सिवरेज परियोजना का मुख्य उद्देश्य गया के जल–मल निकास (Sewerage System) का विस्तृत प्रबन्धन तथा फल्गू नदी को Pollution Free बनाना है ताकि नदी से स्वच्छ पानी की आपूर्त्ति नागरिकों को की जा सके। सिवरेज योजना लागू हो जाने पर गया में Water Borne बीमारियों को नियंत्रित किया जा सकेगा।

गया बिहार का एक महत्वपूर्ण शहर है। पर्यटन की दृष्टिकोण से यह शहर काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। गया में देश–विदेश के लाखों पर्यटक भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली बोधगया का भ्रमण करने आते है। इस कारण गया एक अन्तर्राष्ट्रीय पहचान का शहर बन गया है।

3. गया सिवरेज योजना का क्रियान्वयन एक पैकेज में किया जाना प्रस्तावित है। इस परियोजना में 3ཿ KM सिवरलाईन, 8 इन्टरमीडियट पम्पिंग स्टेशन एवं एक STP 30-MLD का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। उक्त योजना में 68,000 Property Connection outside the customer's Premises तक का प्रावधान रखा गया है। योजना के अधीन STP का निर्माण SBR Technology से किया जायेगा जो कि वर्तमान में सर्वोत्तम है। सिवरेज का कार्य 01.01.2018 से प्रारंभ होगा। भौतिक कार्य 36 महीनों में अर्थात् 31.12.2020 को पूर्ण होगा तथा (O&M) 01.01.2021 से प्रारंभ होकर 31.12.2027 तक जारी रहेगा, जो संवेदक द्वारा किया जायेगा।

4. योजना के लिए स्वीकृत राशि का 71% ADB से ऋण के रूप में एवं 29% राज्य सरकार द्वारा परियोजना अवधि में वहन किया जाना है। तत्पश्चात् पूरी राशि राज्य सरकार/निगम द्वारा वहन की जायेगी। इस प्रकार योजना की कुल लागत राशि 370.63 करोड़ रूपये में से 243.26 करोड़ रूपये ADB से ऋण एवं 127.37 करोड़ रूपये राज्य सरकार के द्वारा देय होगा। राशि की वर्षवार व्यय विवरणी निम्नलिखित है–

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष	राज्यांश		ADB से ऋण		वित्तीय वर्ष में कुल राशि (राशि करोड़ में)
		राशि करोड़ में	राशि प्रतिशत में	राशि करोड़ में	राशि प्रतिशत में	
1	2017–18	9.91	29	24.25	71	34.16
2	2018–19	34.67	29	84.88	71	119.55
3	2019–20	34.67	29	84.88	71	119.55
4	2020–21	20.11	29	49.25	71	69.36
5	2021–22	4.15	100	0.0	0	4.15
6	2022–23	4.15	100	0.0	0	4.15
7	2023–24	4.15	100	0.0	0	4.15
8	2024–25	4.15	100	0.0	0	4.15
9	2025–26	4.15	100	0.0	0	4.15
10	2026–27	4.15	100	0.0	0	4.15
11	2027–28	3.11	100	0.0	0	3.11
Total		**127.37**		**243.26**		**370.63**

Operation & Maintanance (O&M) :- इस परियोजना का O&M 31.12.2027 तक संवेदक द्वारा ही किया जाना है तथा व्यय परियोजना से ही होगा। 31.12.2021 तक O&M व्यय परियोजना से वहन किया जायेगा तथा परियोजना की समाप्ति अवधि पश्चात् O&M राज्य सरकार/नगर निगम गया द्वारा वहन किया जायेगा। परियोजना में बिजली के बिलों का भुगतान गया नगर निगम द्वारा किया जायेगा। इसके लिये नगर निगम को अपना बजट प्रावधान करना होगा।

5. इस योजना की DPR- Design & Supervision Consultant (DSC) द्वारा तैयार की गयी है, जिसमें योजना का प्राक्कलन संलग्न किया जायेगा। प्राक्कलन के साथ आवश्यक ड्राईंग, डिजाईन एवं नक्शा भी DSC द्वारा तैयार किया गया है।

6. योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक ढांचा निम्नानुसार होगा :–

क्र० सं०	पदनाम	प्रस्तावित पद संख्या
(i)	कार्यक्रम निदेशक	01
(ii)	अतिरिक्त कार्यक्रम निदेशक	01
(iii)	मुख्य लेखा पदाधिकारी	01
(iv)	वित्त पदाधिकारी	01
(v)	कार्यपालक अभियंता	02
(vi)	सहायक अभियंता	04
(vii)	कनीय अभियंता	03
(viii)	पर्यावरण एवं सामाजिक प्रबंधन समन्वयक	01
(ix)	परियोजना समन्वयक–सह–कार्यालय प्रबंधक	01
(x)	संस्थागत क्षमता निर्माण पदाधिकारी	01
(xi)	एकरारनामा प्रबंधन विशेषज्ञ	01
(xii)	लेखापाल	01
(2) परियोजना स्थल गया स्तर पर परियोजना क्रियान्वयन इकाई (PIU) का गठन किया जाना है, जिसमें निम्नलिखित Professionals होंगे :–		
(i)	अधीक्षण अभियंता	01
(ii)	कार्यपालक अभियंता	02
(iii)	सहायक अभियंता	02
(iv)	कनीय अभियंता	04
(v)	स्थानांतरगमन विशेषज्ञ (Resettlement Officer)	01
(vi)	लेखापाल	01

PMU एवं PIU को सहयोग देने के लिए PMC एवं DSC दो सलाहकार के रूप में कार्यरत है।

योजना के लिए PMU पहले से गठित है तथा Design & Supervision Consultant (DSC) एवं Programme Management Consultant का चयन कर लिया गया है।

7. यह निर्माण कार्य से संबंधित है। गया नगर निगम के क्षेत्राधीन आवासित नागरिकों को राष्ट्रीय मापदंडों के अधीन जल–मल निकास की व्यवस्था उपलब्ध कराया जाना है। इस योजना से व्यवस्था एवं पर्यावरण में गुणात्मक सुधार होने की सम्भावना है।

आदेश– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों के विभागाध्यक्ष/प्रमण्डलीय आयुक्त, गया प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, गया/ नगर आयुक्त, नगर निगम, गया/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

ह0/–
(चैतन्य प्रसाद),
सरकार के प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक :–03/ADB-05-01/2016 न0वि0एवंआ0वि0, दिनांक–

प्रतिलिपिः–अधीक्षक राजकीय मुद्राणालय, गुलजारबाग प्रेस, पटना/अवर सचिव, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना (सी0डी0 संलग्न) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि बिहार रापपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुए संकल्प की दो सौ प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :–03/ADB-05-01/2016 1866 न0वि0एवंआ0वि0, दिनांक– 11.8.17

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मा0 मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/महालेखाकार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/मा0 मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/सरकार के सभी प्रधान सचिव/सचिव/प्रमंडलीय आयुक्त, मगध प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, गया/प्रबंध निदेशक, बुडको/अपर सचिव–सह–निदेशक, बुडा के आप्त सचिव/BGCMS एवं मिशन निदेशक, NMCG, भारत सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/8/2017
सरकार के प्रधान सचिव।